

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 66/2018

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2019/00945

दायर दिनांक :- 25.04.2018

निर्णय दिनांक :- 25.09.2025

1. भागीरथदान गोदपुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर

-वादी

बनाम

1. उच्छबदेवी पत्नी जगमालदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. कैलाशदान पुत्र जगमालदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
3. केशुदान पुत्र जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
4. कंचन पुत्री जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
5. मगन पुत्री जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
6. ईशुदान पुत्र रामरतनदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
7. दुर्गादान पुत्र रामनारायणदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
8. इन्द्रदान पुत्र रामनारायणदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
9. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा जेडी मगरा कोलायत जिला बीकानेर
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :-1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलकी अधि. वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

-:: निर्णय ::-

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम अरण्डिया तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 24 रकबा 87-00 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 147-08 बीघा व खसरा नम्बर 86 रकबा 76-18 बीघा भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

A 25.9.25

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस सुनकर ग्राम अरण्डिया तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 24 रकबा 87-00 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 147-08 बीघा व खसरा नम्बर 86 रकबा 76-18 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार घंटियाली द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तैयार कर तहसीलदार, घंटियाली द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार घंटियाली द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार घंटियाली द्वारा राजस्व ग्राम अरण्डिया तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 24 रकबा 14.0830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 23.8602 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 86 रकबा 12.4481 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-


क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	भागीरथदान दतन पुत्र मोहनदान जाति चारण सा. दासौड़ी खातेदार रहन एक्सिस बैंक बीकानेर	अरण्डिया	24 82 86	4.6943 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1493 हैक्टेयर	बी-3
2	इसूदान पुत्र रामरतनदान 1/2, किलुदान पुत्र जगमालदान 1/4, उछबकंवर पत्नी कैलाशदान 1/24, कुलदीपदान 1/24, विकास चारण 1/24 पुत्रगण कैलाशदान, कल्पना चारण 1/24, कौशल्या कंवर 1/24, ममता 1/24 पुत्री कैलाशदान जाति चारण सा. दासौड़ी खातेदार। रहन यूको बैंक घंटियाली इसूदान का हिस्सा।	अरण्डिया	24 82 86	4.6943 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1494 हैक्टेयर	बी-3

A — P
25-5-15

3	इन्द्रदान पुत्र रामनारायणदान 1/2, दुर्गादान पुत्र रामनारायणदान 1/2 जाति चारण सा. दासौड़ी खातेदार। रहन आई. सी.आई.सी.आई बैंक लि. जे.डी. मगरा इन्द्रदान का हिस्सा।	अरण्डिया	24 82 86	4.6944 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1494 हैक्टेयर	बी-3
---	---	----------	----------------	---	------

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. भागीरथदान गोदपुत्र मोहनदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर

-वादी

बनाम

01. उच्छबदेवी पत्नी जगमालदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
02. कैलाशदान पुत्र जगमालदान जाति चारण निवासी दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
03. केशुदान पुत्र जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
04. कंचन पुत्री जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
05. मगन पुत्री जगमालदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
06. ईशुदान पुत्र रामरतनदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
07. दुर्गादान पुत्र रामनारायणदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
08. इन्द्रदान पुत्र रामनारायणदान जाति चारण तहसील दासोड़ी तहसील कोलायत जिला बीकानेर
09. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
10. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा जेडी मगरा कोलायत जिला बीकानेर
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

-प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 66/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सॉलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि ग्राम अरण्डिया तहसील घंटियाली में खसरा नम्बर 24 रकबा 14.0830 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 23.8602 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 86 रकबा 12.4481 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टेयर	किस्म
1	भागीरथदान दतन पुत्र मोहनदान जाति चारण सा. दासोड़ी खातेदार रहन एक्सिस बैंक बीकानेर	अरण्डिया	24 82 86	4.6943 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1493 हैक्टेयर	बी-3
2	इसूदान पुत्र रामरतनदान 1/2, किलुदान पुत्र जगमालदान 1/4, उच्छबकंवर पत्नी कैलाशदान 1/24, कुलदीपदान 1/24, विकास चारण 1/24 पुत्रगण कैलाशदान, कल्पना चारण 1/24, कौशल्या कंवर	अरण्डिया	24 82 86	4.6943 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1494 हैक्टेयर	बी-3

25.9.15

24. ममता 1/24 पुत्री कैलाशदान जाति चारण सा. दासौड़ी खातेदार। रहन यूको बैंक घंटियाली इसूदान का हिस्सा।				
3 इन्द्रदान पुत्र रामनारायणदान 1/2, दुर्गादान पुत्र रामनारायणदान 1/2 जाति चारण सा. दासौड़ी खातेदार। रहन आई. सी.आई.सी.आई बैंक लि. जे.डी. मगरा इन्द्रदान का हिस्सा।	अरण्डिया	24 82 86	4.6944 हैक्टेयर 7.9534 हैक्टेयर 4.1494 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। नीचे

मुतालिक
की तारीख

बाबत्

वसूल याबी तक

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर

फीस सदी सालाना आज
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25.09.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।